आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा।

रिविजन वाद सं0–15/2021–22

अब्दुल हई खान एवं अन्य – आवेदकगण

बनाम

असरफ खाँ – विपक्षी

–: आदेश :–

आवेदकगण अब्दुल हाई खान एवं अन्य 13, ग्राम–सोनपुरवा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा की ओर से उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के नामांतरण अपील वाद सं0–15/2015–16 में दिनांक–13.11.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन आवेदन दायर किया गया है। आवेदन पत्र को अंगीकृत कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर संयुक्त संधि पत्र दाखिल किया गया। संधि पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं इस वाद के सभी पक्षकार पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए और बताया गया कि हमलोग दोनों पक्ष राजी–खुशी से आपस में संयुक्त संधि (सुलह) कर लिए हैं और हमलोग केश लड़ना नहीं चाहते हैं।

अतः उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त संधि पत्र को स्वीकृत करते हुए संधि पत्र के आधार पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा को निदेश दिया जाता है कि संयुक्त संधि पत्र के आलोक में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। आदेश की प्रति एवं संधि पत्र की छायाप्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

25.08.2022

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

25.08.2022

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:25:27 +05:30
Location: 192.168.36.160

nand/dpmu/draft/letter - 2022-23-52,

Scanned with CamScanner